

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा

क्रमांक—
प्रति.

/री -2/भू. अ./2017 3048

खण्डवा, दिनांक—5.12.2017

नियंत्रक
केन्द्रीय मुद्रणालय,
भोपाल

विषय—

“भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013” की धारा-11 अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना का राजपत्र मे प्रकाशन होने बाबत्। प्रकरण क्रमांक 003/अ-82/17-18 ग्राम देवलामाफी तहसील खण्डवा

—00—

“भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013” की धारा-11 अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना का प्रकाशन म.प्र.राजपत्र भाग-1 मे होना है। कलेक्टर एवं समुचित सरकार, म.प्र. शासन, राजस्व विभाग, जिला खण्डवा द्वारा हस्ताक्षरित धारा-11 अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना की दो प्रतियां (एक मूल प्रति एवं फोटोप्रति) आपकी ओर भेजी जा रही है।

कृपया इसका प्रकाशन राजपत्र मे शीघ्र करवाकर इस कार्यालय को सूचित करने का कष्ट करें।

(शाश्वत शमी)
अनुविभागीय अधिकारी, एवं
भू-अर्जन-अधिकारी खण्डवा

पृ.क्रमांक— /री -2/भू. अ./2017

3049

खण्डवा, दिनांक—5.12.2017

प्रतिलिपि—

- संचालक, जन संपर्क संचालनालय, म.प्र.भोपाल की ओर धारा-11 अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना की चार प्रतियां भेजकर निवेदन है कि, कृपया इस क्षेत्र मे पढ़े जाने वाले दो बहुप्रसारित दैनिक समाचार पत्रो मे इनका प्रकाशन करवाकर इसकी एक प्रति इस कार्यालय को भिजवाने का कष्ट करें।
- उप मुंख्य इंजीनियर (निर्माण), परिचम रेल्वे इन्डौर की ओर सूचनार्थ और आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित तथा गजट प्रकाशन प्रति एवं दो समाचार पत्र प्रकाशन प्रतियां संकलित कर इस कार्यालय को उपलब्ध करावे। समाचार पत्र प्रकाशन व्यय रेल्वे विभाग द्वारा वहन किया जावे।
- जिला सूचना विज्ञान अधिकारी (एन.आई.सी.) खण्डवा की ओर, कलेक्टर महोदय द्वारा हस्ताक्षरित धारा-11 अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना को जिले की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करे।
- तहसीलदार खण्डवा की ओर 6 प्रतियां भेजकर लेख है कि निम्न स्थानों पर एक प्रति चस्पा कर तथा ग्राम मे डोंडे पिटवाकर बाद तामिली के मय अपने प्रमाणिकरण के आठ दिवस मे वापसी भिजवाने की व्यवस्था करें।
 - कलेक्टर कार्यालय नोटिस बोर्ड
 - उप-खण्ड मजिस्ट्रेट खण्डवा के नोटिस बोर्ड पर
 - तहसील कार्यालय नोटिस बोर्ड
 - ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर
 - ग्राम देवलामाफी की चौपाल पर .

(शाश्वत शमी)
अनुविभागीय अधिकारी, एवं
भू-अर्जन-अधिकारी खण्डवा

कार्यालय कलेक्टर एवं समुचित सरकार मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग जिला खण्डवा

नस्ती कं. /एल. ए./ 142 / 2017

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 0003 / अ-82/17-18

खण्डवा, दिनांक 5/12/2017

// प्रारंभिक अधिसूचना //

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः 'भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यपस्थापन में उचित प्रतिकर अधिनियम 2013' की धारा 11 (1) उपबंधो के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है।

प्रस्तावित सनावद खण्डवा के मध्य आमान परिवर्तन के साथ न्यू ब्राडगेज बाईपास कार्य की प्रकृति लोक हित अन्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की है। अधिनियम के अध्याय 2(अ) की धारा -4 सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट से छुट प्रदान की गयी है। इस कारण से धारा- 11(3) के तहत सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है।

// अनुसूची //

भूमि का वर्णन				धारा-12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल		
01	02	03	04	05	06
खण्डवा	खण्डवा	देवलामाफी	0.93 हेए	उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) पश्चिम रेल्वे इन्डौर	सनावद खण्डवा के मध्य आमान परिवर्तन के साथ न्यू ब्राडगेज बाईपास कार्य

2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा/ उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) पश्चिम रेल्वे इन्डौर के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार

(अभिषेकसिंह)

कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन, राजस्व विभा
जिला खण्डवा

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा

क्रमांक— / री -2/भू. अ./2017

3046

खण्डवा, दिनांक— 5.12.2017

प्रति.

नियंत्रक
केन्द्रीय मुद्रणालय,
भोपाल

विषय—

“भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013” की
सामाजिक समघात निर्धारण अध्ययन से छूट अधिसूचना का राजपत्र मे प्रकाशन होने बाबत्। प्रकरण
क्रमांक 003/अ-82/17-18 ग्राम देवलामाफी तहसील खण्डवा

—00—

“भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013” की
सामाजिक समघात निर्धारण अध्ययन से छूट अधिसूचना का प्रकाशन म.प्र.राजपत्र भाग-1 मे होना है। कलेक्टर एवं समुचित
सरकार, म.प्र. शासन, राजस्व विभाग, जिला खण्डवा द्वारा हस्ताक्षरित अधिसूचना की तीन-तीन प्रतियां आपकी ओर भेजी
जा रही है।

कृपया इसका प्रकाशन राजपत्र मे शीघ्र करवाकर इस कार्यालय को सूचित करने का कष्ट करें।

(शाश्वत शर्मा)

अनुविभागीय अधिकारी, एवं
भू-अर्जन-अधिकारी खण्डवा

पृक्रमांक— / री -2/भू. अ./2017

3047

खण्डवा, दिनांक— 5.12.2017

प्रतिलिपि—

1. संचालक, जन संपर्क संचालनालय, म.प्र.भोपाल की ओर अधिसूचना की चार प्रतियां भेजकर निवेदन है कि, कृपया
इस क्षेत्र मे पढ़े जाने वाले दो बहुप्रसारित दैनिक समाचार पत्रों मे इनका प्रकाशन करवाकर इसकी एक प्रति इस
कार्यालय को भिजवाने का कष्ट करें।
2. उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण), परिचम रेलवे इन्डौर की ओर सूचनार्थ और आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित तथा गजट
प्रकाशन प्रति एवं दो समाचार पत्र प्रकाशन प्रतियां संकलित कर इस कार्यालय को उपलब्ध करावे। समाचार पत्र
प्रकाशन व्यय रेलवे विभाग द्वारा वहन किया जावेगा।
3. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी (एन.आई.सी.) खण्डवा की ओर, कलेक्टर महोदय द्वारा हस्ताक्षरित अधिसूचना के
जिले की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
4. तहसीलदार खण्डवा की ओर 6 प्रतियां भेजकर लेख है कि निम्न स्थानों पर एक प्रति चर्चा कर तथा ग्राम मे डोर्ड
पिटवाकर बाद तामिली के मय अपने प्रमाणिकरण के आठ दिवस मे वापसी भिजवाने की व्यवस्था करें।
 1. कलेक्टर कार्यालय नोटिस बोर्ड 2. उप-खण्ड मजिस्ट्रेट खण्डवा के नोटिस बोर्ड पर
 3. तहसील कार्यालय नोटिस बोर्ड 4. ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर
5. ग्राम देवलामाफी की चौपाल पर।

(शाश्वत शर्मा)

अनुविभागीय अधिकारी, एवं
भू-अर्जन-अधिकारी खण्डवा

कार्यालय कलेक्टर एवं समुचित सरकार मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग जिला खण्डवा

नस्ती कं. 142 एल. ए./ /2017

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक— 0003 / अ-82/2017-18

खण्डवा, दिनांक 5/12/2017

// अधिसूचना //

उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) पश्चिम रेल्वे इन्डौर द्वारा पत्र कं. इन्डौर/डब्ल्यू/335/02 दिनांक 1.11.2017 प्रस्तुत कर सनावद खण्डवा के मध्य आमान परिवर्तन के साथ न्यू ब्राउगेज बाईपास कार्य हेतु ग्राम देवलामाफी हल्का नं 19 तहो खण्डवा की निजी कृषि भूमि कुल रकम 0.93 हैं। भूमि का अनिवार्य भू-अर्जन प्रस्ताव पेश किया गया। साथ ही भूमि का अधिग्रहण शीघ्रता से किये जाने का अनुरोध किया गया।

उक्त प्रस्ताव का अध्ययन करने के पश्चात प्रस्तावित योजना पूर्णतः लोकहित से संबंधित होने के कारण म.प्र. शासन राजस्व विभाग, मंत्रालय वल्लभ भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ-16-15(1)/2014-सात-2 ए दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं अभिषेकसिंह कलेक्टर जिला खण्डवा एवं समुचित सरकार म.प्र. शासन विधि एवं विधियी कार्य मंत्रालय भारत शासन के संशोधित अध्यादेश क्रमांक 9/2014 के बिन्दु 10-ए अनुसार लोकहित को दृष्टिगत रखते हुये प्रस्तावित लोक परियोजना के निम्नाकिंत क्षेत्र को अधिनियम के अध्याय 2(अ) धारा-4 मे वर्णित सामाजिक समाधात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करता हूँ :—

स.क.	जिला	तहसील	प.ह.न.	ग्राम का नाम	प्रस्तावित अनुमानित क्षेत्रफल हे. मे.	सार्वजनिक प्रयोजन
1	2	3	4	5	6	7
1	खण्डवा	खण्डवा	19	देवलामाफी	0.93 हे.	सनावद खण्डवा के मध्य आमान परिवर्तन के साथ न्यू ब्राउगेज बाईपास कार्य

नोट :— उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल मे कमी अथवा वृद्धि संभावित है।

2. उक्त भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा/उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) पश्चिम रेल्वे इन्डौर के कार्यालय मे किया जा सकता है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(अभिषेकसिंह)

कलेक्टर एवं समुचित सरकार
मध्य प्रदेश शासन, राजस्व विभाग

जिला खण्डवा